प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख का किया गया है जो 2015-16 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए; और साथ ही वे मामले जो पूर्व के वर्षों में देखे गए थे लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नही किए जा सके थे।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार प्रतिपादित की गई है।